# चोरियों से व्यापारी आक्रोशित

**कोटा, (निसं)।** कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन एवं महासचिव अशोक माहेश्वरी ने बुधवार को पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र के तीन व्यापारियों की दुकानों पर हुई चोरियों की घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन से शीघ्र ही घटना में लिप्त चोरों को पकड़ने की मांग की है।

पुरानी सब्जीमंडी व्यापार समिति के अध्यक्ष सुनील खरबंदा एवं सचिव राजू साल्वी ने कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रान्ती जैन एवं महासचिव अशोक माहेश्वरी को बताया कि पुरानी सब्जी मंडी मेन रोड पर चोरों ने हमारे तीन व्यापारियों की दुकानें जिसमें बी.आर. ट्रेडर्स, श्याम किराना स्टोर, आर.डी. ज्वैलर्स के यहां पर चोरों द्वारा दुकानों के ताले तोड़कर भारी मात्रा में सामान एवं नकदी की चोरी हुई है। हमने इसकी सूचना रामपुरा कोतवाली दे दी है साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस प्रशासन को दे दिए हैं इन व्यापारियों के यहां करीब 2 साल पूर्व भी चोरियां हुई थी लेकिन आज तक कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन एवं महासचिव अशोक माहेश्वरी ने बताया कि पूर्व में भी क्षेत्र में कई चोरी हुई जिसके चोर अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इन घटनाओं में लिप्त चोरों को शीघ्र गिरफ्तार किया किया जाऐं।

# बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने से पूरा परिवार शिक्षित होता है: राज्यपाल मिश्र

- राज्यपाल ने छीपाबड़ौद में श्री प्रेम सिंह राजकीय महाविद्यालय भवन का किया लोकार्पण
- राज्यपाल कलराज मिश्र ने महाविद्यालय परिसर में प्रेम सिंह सिंघवी की प्रतिमा का अनावरण भी किया।
- राज्यपाल कलराज मिश्र ने छीपाबड़ौद में श्री प्रेम सिंह राजकीय महाविद्यालय भवन के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित किया।

**छबड़ा।** राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि शिक्षा के अवसर सभी को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए। शिक्षा जीवन को संवारती है एवं बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए जिससे पूरा परिवार शिक्षित होता है।

राज्यपाल ने बुधवार को नवनिर्मित श्रीप्रेम सिंह सिंघवी राजकीय महाविद्यालय भवन छीपाबड़ौद के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के साथ महिला शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है। एक महिला जिस परिवार में पढ़ लेती है वो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। महिला शिक्षा का अर्थ समाज को व्यवहारिक रूप से सम्पन्न करना है। विधायक प्रतापसिंह सिंघवी क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, इससे क्षेत्र की प्रत्येक बालिका को शिक्षा मिल पाएगी। यदि सभी महिलाएं शिक्षित होंगी तो जीवन का सकारात्मक विकास होगा क्योंकि जो भी महान व्यक्ति हुए हैं उनकी उन्नति में उनकी माताओं व पत्नियों का योगदान रहा है।

राज्यपाल मिश्र ने कहा कि शिक्षा मनुष्य को आन्तरिक जगत से सामंजस्य और बाह्य जगत में समायोजन करना सीखाती है। इससे व्यक्ति विवेकशील व ज्ञानवान होकर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। शिक्षा नवाचार के अवसर प्रदान करती है और कक्षा में पुस्तकें पढ़ने का अभ्यास ही जीवन में अनुशासन सीखाता है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानन्द ने आत्मनिर्भरता की सीख दी थी और शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होकर वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है।

# सरपंच की भूख हड़ताल 10 वें दिन भी जारी

**छबड़ा।** किसानों को फसल बीमा व अतिवृष्टि से हुए फसली नुकसान दिलाने के लिए खेल मैदान में चल रही सरपंच की भूख हड़ताल 10वें दिन भी जारी रही। यहां कई नेताओं ने पहुंचकर सरपंच का समर्थन किया और क्रमिक धरना प्रदर्शन किया। साथ ही 22 नवंबर को किसान महापड़ाव की रूपरेखा पर चर्चा की गई।

सरपंच धर्मा धाकड़ द्वारा जारी भूख हड़ताल के समर्थन में बुधवार को भाजपा नेता निप्पू बना सारथल, किसान नेता जयनारायण नागर, पूर्व ड्रारेक्टर पप्पू धाकड़ गगचाना, फेते सिंह, नन्दकिशोर नागर, राजेश त्यागी, रामदयाल, मंजू मेव, भूरा मीणा, मुरली मीणा, उपसरपंच राधेश्याम कडैयाहन, रामकल्याण, पवन धाकड़, महावीर धाकड़, जीतू धाकड़, चेतन नागर, मानसिंह मीणा, राजू मीणा, ईश्वर नागर, दीपक त्यागी, नीलेश नागर, जितेंद्र मेहता आदि किसान बुधवार को खेल मैदान पहुंचे और भूख हड़ताल के समर्थन में क्रमिक धरना दिया।

**खोया-पाया**

सुशीला गांधी पुत्री कांतिलाल 3 a 15 महावीर नगर तृतीय कोटा का आवंटन पत्र गुम हो गया है। किसी को मिलने पर सूचित करें।

## राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3248 — जाहिर आम सूचना — दिनांक - 16.11.22

आवास संख्या 1-व-13 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती लक्ष्मी पुत्री श्री जेठानन्द को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री गुलाब राय माखीजा पुत्र श्री हेमन दास के नाम दिनांक 26.07.2002 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री गुलाब राय माखीजा पुत्र श्री हेमन दास के नाम दिनांक 10.10.2002 को किया गया। पंजीयन उपरांत श्री गुलाब राय माखीजा पुत्र श्री हेमन दास द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 16.05.2008 को श्रीमती शबनम बानो पत्नी श्री अब्दुल हकीम को किया गया। श्रीमती शबनम बानो पत्नी श्री अब्दुल हकीम द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 01.07.2008 को श्री चन्द्रकान्त शर्मा पुत्र स्व. श्री रामस्वरुप शर्मा को मुख्तारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री चन्द्रकान्त शर्मा पुत्र स्व. श्री रामस्वरुप शर्मा द्वारा मुख्तार आम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 08.09.2008 को श्रीमती तबस्सुम पत्नी श्री मोहम्मद आरिफ को किया गया। श्रीमती तबस्सुम पत्नी श्री मोहम्मद आरिफ का नाम दिनांक 03.08.2022 को मंडल अभिलेख में दर्ज किया जा चुका है। तत्पश्चात श्रीमती तबस्सुम पत्नी श्री मोहम्मद आरिफ द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 02.09.2022 को श्री इकराम हुसैन पुत्र श्री सलामुद्दीन को किया गया। श्री इकराम हुसैन पुत्र श्री सलामुद्दीन द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री इकराम हुसैन पुत्र श्री सलामुद्दीन के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री इकराम हुसैन पुत्र श्री सलामुद्दीन का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री इकराम हुसैन पुत्र श्री सलामुद्दीन के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

## राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांकः-उ.आ.आ./को.वृ.को./2022-2023/3239 — जाहिर आम सूचना — दिनांक: 16.11.22

आवास संख्या 1 एच 33 महावीर नगर विस्तार कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती मीरा बाई पत्नी श्री द्वारकादास को किया गया था। श्रीमती मीरा बाई द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये इकरारनामा, मुख्तारनामा एवं वसीयतनामा आलेखित कर दिनांक 11.04.1998 को श्रीमती गीता शर्मा पत्नी श्री ललित कुमार शर्मा को किया गया। श्रीमती गीता शर्मा द्वारा अपने पक्ष में नियमितिकरण हेतु इस कार्यालय में दिनांक 27.09.2022 को आवेदन किया गया।

अतः इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती गीता शर्मा पत्नी श्री ललित कुमार शर्मा के नाम करने में किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती गीता शर्मा पत्नी श्री ललित कुमार शर्मा के नाम किए जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का नियमितिकरण श्रीमती गीता शर्मा पत्नी श्री ललित कुमार शर्मा के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

## राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांकः-उ.आ.आ./को.वृ.को./2022-2023/3237 — जाहिर आम सूचना — दिनांक: 16.11.22

आवास संख्या 1 एल 38 महावीर नगर विस्तार कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री कृपाराम जयसवाल पुत्र श्री बालमुकुन्द जयसवाल को किया गया था। श्री कृपाराम जयसवाल द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये इकरारनामा, मुख्तारनामा एवं वसीयतनामा आलेखित कर दिनांक 03.06.1999 को श्री पुरुषोत्तम शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा को किया गया। श्री पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा अपने पक्ष में नियमितिकरण हेतु इस कार्यालय में दिनांक 27.09.2022 को आवेदन किया गया।

अतः इस आवास का नियमितिकरण श्री पुरुषोत्तम शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा के नाम करने में किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास का नियमितिकरण श्री पुरुषोत्तम शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा के नाम किए जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का नियमितिकरण श्री पुरुषोत्तम शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

## राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3209 — जाहिर आम सूचना — दिनांक - 15.11.22

आवास संख्या 1-जी-22 कुन्हाड़ी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती लक्षिता विजयवर्गीय पत्नी श्री अजय विजयवर्गीय को किया गया था। श्रीमती लक्षिता विजयवर्गीय पत्नी श्री अजय विजयवर्गीय द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 15.03.2005 को श्री राजेन्द्र गर्ग पुत्र श्रवण लाल गर्ग को मुख्तारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती लक्षिता विजयवर्गीय पत्नी श्री अजय विजयवर्गीय मुख्तारआम धारक श्री राजेन्द्र गर्ग पुत्र श्री श्रवण लाल गर्ग के नाम दिनांक 22.06.2006 को किया गया। पंजीयन उपरांत श्रीमती लक्षिता विजयवर्गीय पत्नी श्री अजय विजयवर्गीय मुख्तारआम धारक श्री राजेन्द्र गर्ग पुत्र श्री श्रवण लाल गर्ग द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 11.10.2006 को श्री वैभव जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन को किया गया। श्री वैभव जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन का नाम दिनांक 24.09.2009 को मंडल अभिलेख में दर्ज किया जा चुका है। तत्पश्चात श्री वैभव जैन पुत्र श्री सूरजमल जैन द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 12.10.2009 को श्रीमती रेखा गुप्ता पत्नी श्री शेलेन्द्र कुमार गर्ग को किया गया। श्रीमती रेखा गुप्ता पत्नी श्री शेलेन्द्र कुमार गर्ग द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती रेखा गुप्ता पत्नी श्री शेलेन्द्र कुमार गर्ग के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती रेखा गुप्ता पत्नी श्री शेलेन्द्र कुमार गर्ग का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती रेखा गुप्ता पत्नी श्री शेलेन्द्र कुमार गर्ग के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

## राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3170 — जाहिर आम सूचना — दिनांक - 11.11.22

आवास संख्या 2/233 गणेश तालाब कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री तारामल पुत्र श्री सवाई मल को किया गया। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती चन्द्रा देवी पत्नी श्री नारायण दास के नाम दिनांक 29.07.2013 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती चन्द्रा देवी पत्नी श्री नारायण दास द्वारा दिनांक 17.10.2013 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्रीमती चन्द्रा देवी पत्नी श्री नारायण दास द्वारा इस आवास दान जरिये दान पत्र आलेखित कर दिनांक 21.02.2022 को अपनी पुत्री श्रीमती सोनिया पत्नी श्री तीरथ दास को किया गया। श्रीमती सोनिया पत्नी श्री तीरथ दास द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास के मंडल अभिलेख में अपना नाम दान पत्र के आधार पर दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास को दान पत्र के आधार पर श्रीमती सोनिया पत्नी श्री तीरथ दास के नाम मंडल अभिलेख में संयुक्त रुप से दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में दान पत्र के आधार पर श्रीमती सोनिया पत्नी श्री तीरथ दास का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में दान पत्र के आधार पर श्रीमती सोनिया पत्नी श्री तीरथ दास के नाम मंडल अभिलेख में दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

## राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3203 — जाहिर आम सूचना — दिनांक - 15.11.22

आवास संख्या 3/461 स्वामी विवेकानन्द नगर योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा लॉटरी दिनांक 16.05.2022 में श्री उत्तमचन्द सेठी को किया गया है। श्री उत्तमचन्द सेठी की मृत्यु दिनांक 30.04.2021 को हो जाने पर उनके पुत्र श्री विपुल सेठी पुत्र श्री उत्तमचन्द सेठी द्वारा मृत्यु प्रकरण के अन्तर्गत उक्त आवास का हस्तान्तरण किये जाने हेतु इस कार्यालय में दिनांक 06.10.2022 को आवेदन किया है। आवेदन पत्र के साथ श्री उत्तमचन्द सेठी की दुसरी संतान उनकी पुत्री स्मृति सेठी से अनापत्ति प्रस्तुत करने के साथ साथ सभी आवश्यक पूर्ति किए जाने के उपरांत मंडल द्वारा नियमानुसार विधिक राय प्राप्त करते हुए उक्त आवास का हस्तान्तरण मृत्यु प्रकरण के अंतर्गत श्री विपुल सेठी पुत्र श्री उत्तमचन्द सेठी के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 10 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तान्तरण मृत्यु प्रकरण का निस्तारण करते हुए श्री विपुल सेठी पुत्र श्री उत्तमचन्द सेठी के नाम दर्ज किए जाने में किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तान्तरण श्री विपुल सेठी पुत्र श्री उत्तमचन्द सेठी का नाम दर्ज कर लिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

## राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3245 — जाहिर आम सूचना — दिनांक - 16.11.22

आवास संख्या 10-D-21 पारिजात महावीर नगर कोटा का आवंटन विधायक कोटे में श्री बृज बल्लभ बोहरा पुत्र श्री राधाकिशन बोहरा को किया गया था। श्री बृज बल्लभ बोहरा की मृत्यु दिनांक 19.11.1996 को हो जाने के पश्चात मंडल द्वारा प्रकरण का निस्तारण करते हुए उक्त आवास का हस्तान्तरण श्री कमला शंकर नन्दवाना पुत्र श्री बृज बल्लभ बोहरा के नाम दिनांक 01.08.1997 को किया गया। तत्पश्चात उक्त आवास का पंजीयन दिनांक 05.10.2004 को श्री कमला शंकर नन्दवाना पुत्र स्व. श्री बृज बल्लभ बोहरा द्वारा उप पंजीयक द्वितीय कोटा में स्वयं के नाम करवाया गया। श्री कमला शंकर की मृत्यु दिनांक 14.10.2015 को हो जाने के पश्चात उनके वारिस (1) श्रीमती वेद कुमारी नन्दवाना पत्नी स्व. श्री कमला शंकर नन्दवाना (2) श्री संदीप नन्दवाना पुत्र स्व. श्री कमला शंकर नन्दवाना द्वारा दिनांक 08.08.2022 को जरिये हकत्याग आलेखित कर अपने पुत्र व भाई श्री सचिन नन्दवाना पुत्र स्व. श्री कमला शंकर नन्दवाना के पक्ष में अपना हकत्याग घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया। श्री सचिन नन्दवाना द्वारा इस कार्यालय में उक्त आवास का हस्तान्तरण किए जाने हेतु आवेदन किया है।

अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण मृत्यु प्रकरण के अन्तर्गत श्री सचिन नन्दवाना पुत्र स्व. श्री कमला शंकर नन्दवाना के नाम किए जाने में किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 10 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें, अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तान्तरण मृत्यु प्रकरण का निस्तारण करते हुए श्री सचिन नन्दवाना पुत्र स्व. श्री कमला शंकर नन्दवाना के नाम दर्ज किए जाने में किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है, उक्त आवास का हस्तान्तरण श्री सचिन नन्दवाना पुत्र स्व. श्री कमला शंकर नन्दवाना का नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

# स्वरोजगार योजना 31 मार्च तक

**कोटा, (निसं)।** मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना अधिसूचित होने की तिथि से 31 मार्च 2023 तक रहेगी। योजनान्तर्गत ऐसे वाणिज्यिक वाहन, जिनसे सामान परिवहन का कार्य किया जाता है तथा वाहन का भार 7500 किलोग्राम से अधिक न हो, वे पात्र होंगे। संयुक्त निदेशक जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक केन्द्र राजीव गर्ग ने बताया कि योजना में पात्रता के लिए राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिये तथा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष तक है। उन्होंने बताया कि ऋण एवं अनुदान की मात्रा 10 प्रतिशत अथवा 60 हजार जो भी कम हो देय होगा। योजना में वाहन क्रय के 30 दिवस में जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक केन्द्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

# उपचुनाव वाले क्षेत्र की सीमाओं में धारा 144 लागू

**झालावाड़,(निसं)।** पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, उप सरपंच एवं वार्ड पंच के पदों पर उप चुनाव को शांतिपूर्वक स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने एवं संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के सभी वर्गो के मतदाता बिना किसी भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके इस हेतु जिला मजिस्ट्रेट डॉ. भारती दीक्षित द्वारा एक आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झालावाड़ जिले की पंचायत समितियों के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की गई है। आदेशानुसार धारा 144 के दौरान कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवॉल्वर, पिस्तोल, बंदूक, रायफल व अन्य धारदार हथियारों जैसे तलवार, गण्डासा, फरसा, चाकू, भाला, कृपाण, बरछी अथवा लाठी आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। इस दौरान ना ही किसी प्रकार के उत्तेजनात्मक अथवा आपत्तिजनक नारे न स्वयं लगायेगा और न ही अन्य व्यक्तियों से लगवाएगा।

यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्डस एवं अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जो कानून व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने हेतु अधिकृत किये गये है।

# राजू राठौर अध्यक्ष बने

**रामगंजमंडी, (निसं)।** जर्नलिस्टस एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (जार) की कोटा जिला ग्रामीण ईकाई की कार्यकारिणी का गठन किया है। नवगठित जिला ग्रामीण ईकाई के अध्यक्ष राजू राठौर ( रामगंजमंडी) और महासचिव जितेंद्र जोशी( रामगंजमंडी ) है। इसी तरह कार्यकारिणी में मुकेश कुमार शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष (इटावा), सूर्य प्रकाश मेवाड़ा (मंडाना) व मुकेश विश्वास उपाध्यक्ष (खातौली), धर्मेन्द्र कुमार शर्मा सचिव (इटावा), मनीष मेवाड़ा कोषाध्यक्ष (मोड़क), केशव सोनी (इटावा) व रवि राठौर सहसचिव (कनवास), मनीष जैन मीडिया प्रभारी (रामगंज मंडी), जुगल किशोर (पीपल्दा) व लईक मोहम्मद (इटावा) को कार्यालय सचिव नियुक्त किया गया है।

## कार्यालय नगरपालिका मण्डल सुल्तानपुर जिला कोटा ( राज. )

क्रमांक/न.पा.सु./2022-23/1933-35 — प्रारुप-10 — दिनांक-15.11.2022

नियम 6 ( 7 )

**लोक सूचना**

श्रीमती संजु मीणा पत्नी श्री नवल किशोर मीणा निवासी सुल्तानपुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

| जिले सहित तहसील का नाम | ग्राम का नाम | खसरा सं. | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| जिला कोटा तहसील पीपल्दा | सुल्तानपुर | (1) 1816,1817<br>(2) 1867 | (1) 0.8, 0.8 हैक्टेर कुल 0.16 हैक्टेयर<br>(2) 0.15 हैक्टेयर |

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृत अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष सक्षम दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपयुर्क्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका सुल्तानपुर

## कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः-1729 — नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना — दिनांकः-16.11.022

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना विनोबा भावे नगर का भूखंड संख्या 812 श्री पुरुषोत्तम राठौर पुत्र ताराचन्द जी को आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 4.6.2010 को किया गया था। आवंटी श्री पुरुषोत्तम राठौर पुत्र ताराचन्द जी द्वारा उक्त भूखंड का जर्ये मुख्तारआम श्री जुगल किशोर कुशवाह पुत्र श्री गजानन्द जी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 28.10.2015 को श्रीमती बिरधी बाई पत्नी श्री गोपाल लाल को विक्रय कर दिया गया है। अतः क्रेता श्रीमती बिरधी बाई पत्नी गोपाल लाल के द्वारा उक्त भूखंड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 812 योजना विनोबा भावे नगर का नाम हस्तान्तरण क्रेता श्रीमती बिरधी बाई पत्नी गोपाल लाल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

# पंचायत ईश्वरपुरा में हुई जन सुनवाई

**बारां, (निसं)।** "जिला प्रमुख आपके द्वार" कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रमुख श्रीमती उर्मिला जैन भाया द्वारा पंचायत समिति मांगरोल की ठाम पंचायत ईश्वरपुरा का बुधवार को निरीक्षण एवं जन सुनवाई कर आमजन की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया तथा कई लोककल्याणकारी योजनाओं के आवेदन पत्र तैयार करवाए गए।जन सुनवाई एवं निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान ठाम पंचायत ईश्वरपुरा में जन सुनवाई के लिए पहुंची श्रीमती उर्मिला जैन भाया का ग्रामवासियों, जनप्रतिनिधियों, नागर समाज एवं सहकारी समिति पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण, शॉल, श्रीफल भेंट कर आत्मिक स्वागत सम्मान किया गया। भाया ने कहा कि आमजन को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए जिला मुख्यालय पर आना पड़ता था तथा कई ऐसी समस्याएं होती है जिनका ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही निराकरण संभव हो सकता है। इसी को देखते हुए उनके द्वारा ठाम पंचायत मुख्यालयों पर जिला प्रमुख आपके द्वार कार्यक्रम की शुरूआत की गई है और इन जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान स्थानीय स्तर पर ही काफी समस्याओं का समाधान अधिकारियों के माध्यम से करवाया जा रहा है।

जिला प्रमुख द्वारा बुधवार को ठाम पंचायत ईश्वरपुरा में आयोजित जन सुनवाई के दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए कई योजनाओं के आवेदन पत्र तैयार करवाए गए।

## कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः-एफ11/विक्रय/2022/5161 — विज्ञप्ति — दिनांकः-16.11.22

कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा दुकान/आवास/भूखंड संख्या 29 योजना महावीर नगर स्पेशल आवासीय योजना का आवंटन न्यास के पत्र क्रमांक 41 दिनांक 25.03.2022 द्वारा श्री विजय कुमार पुत्र श्री सहीराम को आवंटित किया गया था। आवंटी/क्रेता द्वारा नियुक्त मुख्तारआम श्रीमती सुनीता अग्रवाल पत्नी श्री निर्मल अग्रवाल ने उक्त दुकान/आवास/भूखंड का विक्रय जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 01.10.2022 को श्री निर्मल अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल अग्रवाल को विक्रय कर दिया गया है। श्री निर्मल अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल अग्रवाल ने उक्त दुकान/आवास/भूखंड का हस्तानांतरण स्वयं के नाम करवाने हेतु आवेदन किया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि जिस किसी को भी उक्त भूखंड/आवास का हस्तांतरण किए जाने में कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 दिवस में अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त दुकान/आवास/भूखंड के स्वामित्व हस्तांतरण की स्वीकृति श्री निर्मल अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल अग्रवाल के नाम जारी कर दी जायेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

# किसानों के सुझाव लिए

**कोटा, (निसं)।** राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष महादेवसिंह खण्डेला ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं का समय पर समाधान कर आमदनी बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। पहली बार कृषि एवं किसानों के लिए अलग से बजट लाकर आमदनी बढ़ाने का कार्य किया है।

किसान आयोग के अध्यक्ष बुधवार को निजी होटल में आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम में उपस्थित जिलेभर के किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है किसान खुशहाल होगा तभी देश में उन्नति आयेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा है कि हर जिले में किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना जाकर आये गये सुझावों के आधार पर नीतियों का निर्माण किया जाये इसी उद्देश्य को लेकर जिलों में किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गत वित्तीय वर्ष से पहलीबार खेती एवं किसान पर केन्द्रित अलग से कृषि बजट पेश किया गया है।

# मिर्गी रोग में जागरुकता की बेहद आवश्यकताः डॉ. जायसवाल

- मिर्गी का दौरा आने पर व्यक्ति को एक और मोड़ कर लिटाएं

**कोटा, (निसं)।** भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मिर्गी के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 नवंबर को मिर्गी दिवस मनाया जाता है। मिर्गी मस्तिष्क का एक क्रॉनिक रोग है, जिससे रोगी को बार-बार दौरा आता है। मिर्गी पीड़ित रोगी को न्यूरॉन्स में अचानक असामान्य एवं अत्यधिक विद्युत का संचार होने के कारण यह दौरा बार-बार पड़ता है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है। यह बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। इस रोग से पीड़ित हर व्यक्ति की परेशानी अलग-अलग हो सकती है। वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन डॉ. संजय जायसवाल ने बताया कि भारत में लगभग 10 लाख के करीब लोगों को मिर्गी के दौरे आते हैं। कोटा संभाग में भी सैकड़ों रोगी हैं, जिन्हें मिर्गी के दौरे आते हैं। इस पूरे मामले में जागरूकता की बेहद आवश्यकता है। यदि हम जागरुक होंगे तो दौरा आने पर सही विधि से रोगी को अधिक नुकसान से बचा सकते हैं।

डॉ. जायसवाल ने बताया कि मिर्गी जन्मजात हो सकती है या मस्तिष्क में किसी प्रकार का संक्रमण से भी मिर्गी रोग हो सकता है। स्ट्रोक या फिर ब्रेन ट्यूमर भी इसका कारण हो सकता है। सिर में चोट या किसी दुर्घटना के चलते सिर पर चोट लगना भी इसका एक कारण सामने आया है। बचपन के दौरान कभी लंबे समय तक तेज बुखार से पीड़ित होना, मिर्गी होने के कारण हो सकते हैं। डॉ. जायसवाल ने बताया कि जब किसी व्यक्ति को मिर्गी आए तो उसे घबराना नहीं चाहिए, उसे हिम्मत से काम लेना है। पीड़ित व्यक्ति को मिर्गी के दौरे के दौरान कंट्रोल करने की कोशिश न करें। पीड़ित व्यक्ति के आसपास भारी वस्तु या फिर हानिकारक वस्तु को दूर रखें नहीं तो उन्हें चोट लग सकती है। यदि पीड़ित व्यक्ति गर्दन कसकर रखने वाले कपड़े पहन रखें हैं तो उसे तुरंत ही ढीला कर लें। मिर्गी पीड़ित व्यक्ति को एक और मोड़ कर लेटाए ताकि मुंह से निकलने वाला उल्टी या फिर तरल पदार्थ सुरक्षित रूप से बाहर निकले। मिर्गी पीड़ित व्यक्ति के सिर के नीचे कुछ आरामदायक वस्तु या फिर तकिया रखें। मिर्गी पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा सहायता जब तक न मिले, तब तक पीड़ित व्यक्ति के साथ ही किसी को मौजूद रहना चाहिए।

व्यक्ति को आराम करने दें या फिर अगर वह सोया हुआ है तो उसे सोने दें। मिर्गी पीड़ित व्यक्ति को अधिकांश दवाओं से ठीक किया जाता है। मिर्गी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि मिर्गी के उपचार में देरी नहीं करनी चाहिए, मिर्गी पीड़ित होने के बारे में अगर किसी व्यक्ति को पता चलता है उसे तुरंत ही उपचार शुरू कर देना चाहिए। जल्द उपचार से बिगड़ी हुई स्थिति को रोका जा सकता है। देश में आज भी मिर्गी आने पर कई टोने टोटके किए जाते हैं, जिससे बचने की आवश्यकता है। मिर्गी का दौरा कुछ समय बाद आपने आप ही ठीक हो जाता है। जब भी मिर्गी का दौरा आए तो जूते सुंघाना, चाबी देना, लोहे की वस्तु पकड़वाना या देवी-देवता का प्रकोप मानते हुए पूजा-पाठ करना जैसी भ्रांतियों से बचना चाहिए। रोगी को शीघ्र ही चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता होती है।